


मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक/05/2020

फा.क्रं 2182/21-ब(दो)/2020, राज्य शासन, एतद् द्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार की ओर से म.प्र. उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये श्री पुरुषेन्द्र कौरव, महाधिवक्ता मध्यप्रदेश को, उनके द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, लोक अभियोजक नियुक्त करता हैं।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(सत्येन्द्र कुमार सिंह)


प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ. क्रमांक 2182/21-ब(दो)
प्रतिलिपि :

भोपाल, दिनांक 18./05/2020

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर / ग्वालियर,
3. श्री पुरुषेन्द्र कौरव, महाधिवक्ता मध्यप्रदेश,
4. महाधिवक्ता कार्यालय, म.प्र. जबलपुर,
5. अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर / ग्वालियर,
6. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ,
7. आई.टी. प्रकोष्ठ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(गोपाल श्रीवास्तव)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग